



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार  
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001  
CIN : U40101UP1980SGC005065



संख्या- 128/मा०सं०-04/उ०नि०लि०/2019-03(11)मा०सं०-04/2017

दिनांक: ०४ फरवरी, 2019

मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक  
ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज एवं  
मुख्य अभियन्ता पनकी ताप विद्युत गृह,  
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
ओबरा/अनपरा(सोनमद्र)/पारीछा(झाँसी)/  
कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।

विषय:- निवर्तमान उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद के दिनांक 14.01.2019 को विद्यमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों एवं उक्त तिथि को कार्यरत ऐसे कर्मियों जिन्हें पेंशन सुविधा अनुमन्य है तथा जो विभिन्न उत्तराधिकारी कम्पनियों से दिनांक 14.01.2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये अथवा होंगे की पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उपादान एवं पेंशन राशिकरण का कोषागारों के माध्यम से भुगतान।

संदर्भ संख्या- पा०का०लि० का पत्रांक 53-पें०एवंआर०-28/पाकालि/2018-60-पी/98 दि० 11.01.2019

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक ऊर्जा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1660/24-पी-2-18-सा०(144)/17 दिनांक 02.01.2019 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के माध्यम से राज्य शासन द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान राजकीय कोषागारों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्व जारी शासनादेश संख्या-1/2016/41/24-पी-2-16-सा०(84)/2014 दिनांक 13.01.2016 के प्रस्तर-3(viii) में प्राविधानित व्यवस्था को निम्नवत् संशोधित किया गया है-

प्रस्तर	पूर्व प्राविधानित व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
प्रस्तर-3(viii)	कोषागारों से भुगतान हेतु कट-आफ-डेट पेंशन प्राधिकार पत्र कोषागारों को स्थानान्तरित करने हेतु कट-आफ-डेट, 29 फरवरी, 2016 होगी। उक्त तिथि तक के समस्त भुगतान वर्तमान पेंशन संवितरण अधिकारियों द्वारा किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के उपरान्त के समस्त भुगतान कोषागारों द्वारा किये जायेंगे। दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक के पूर्व की कोई देयता यदि उक्त तिथि के उपरान्त भी लम्बित पायी जाती है तो उसका भुगतान वर्तमान सम्बन्धित पेंशन संवितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ, ऊर्जा विभाग की अनुदान में वर्षानुवर्ष समुचित धनराशि की व्यवस्था करायी जायेगी। विद्युत कम्पनियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि माह फरवरी, 2016 की पेंशन का भुगतान करने के तत्काल उपरान्त पेंशन भुगतानादेश की प्रतिलिपि हस्तान्तरित कर दी जाये।	ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के पेंशनर्स के समस्त देयों दिनांक 29 फरवरी, 2016 के पूर्व के देयों को सम्मिलित करते हुए का भुगतान कोषागारों के माध्यम से ही किया जाएगा।

उक्त संशोधित व्यवस्था के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1/2016/41/24-पी-2-16-सा०(84)/2014 दिनांक 13.01.2016 की अन्य व्यवस्था यथावत् प्रभावी रहेगी।

कृपया शासनादेश के उक्त संशोधित व्यवस्था के अनुसार दिनांक 29 फरवरी, 2016 के पूर्व के पेंशनरी देयों को सम्मिलित करते हुए समस्त पेंशनरी देयों का भुगतान राजकीय कोषागारों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

*X. Mulla*

(संजय तिवारी)

निदेशक(का०प्रब० एवं प्रशा०)

शेष पृष्ठ-2 पर.....

संख्या-128(1)/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
3. निदेशक, कोषागार, कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, कक्ष संख्या-148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक(मा0सं0)/मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, वित्त/लेखा/पी0पी0एम0एम0/ईधन/वाणिज्य/प्रगति/तापीय परिचालन/जानपद-नवपरियोजनायें/पर्यावरण एवं सुरक्षा/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त जिला कोषाधिकारी, उ0प्र0।
11. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. उप महाप्रबन्धक/अधी0अभि0(01/02/06/04/05)/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/जानपद/वित्त/लेखा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
15. अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0-01/05/03/04/रिफार्म) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा/पेंशन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18. उप महाप्रबन्धक/कार्मिक अधिकारी(औद्योगिक सम्बन्ध), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
19. कट फाइल।

आज्ञा से,

01/02/19  
(कौशलेन्द्र कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0-04)

प्रेषक:

आलोक कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन,  
लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक:०१ जनवरी, 2019

**विषय:-** निवर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के दिनांक 14 जनवरी, 2000 को विद्यमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों एवं उक्त तिथि को कार्यरत ऐसे कार्मिकों जिन्हें पेंशन सुविधा अनुमन्य है तथा जो विभिन्न उत्तराधिकारी कम्पनियों से दिनांक 14 जनवरी, 2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये अथवा होंगे की पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उपादान एवं पेंशन राशिकरण का कोषागारों के माध्यम से भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2016/41 /24-पी-2-16-सा0(84)/2014, दिनांक 13 जनवरी, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-3 (viii) में यह व्यवस्था प्राविधानित है कि "कोषागारों से भुगतान हेतु कट-आफ-डेट पेंशन प्राधिकार पत्र कोषागारों को स्थानान्तरित करने हेतु कट-आफ-डेट 29 फरवरी, 2016 होगी। उक्त तिथि तक के समस्त भुगतान वर्तमान पेंशन संवितरण अधिकारियों द्वारा किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के उपरान्त के समस्त भुगतान कोषागारों द्वारा किये जायेंगे। दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक के पूर्व की कोई देयता यदि उक्त तिथि के उपरान्त भी लम्बित पायी जाती है, तो उसका भुगतान वर्तमान संबंधित पेंशन संवितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ, ऊर्जा विभाग की अनुदान में वर्षानुवर्ष समुचित धनराशि की व्यवस्था करायी जायेगी। विद्युत कम्पनियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि माह फरवरी, 2016 की पेंशन का भुगतान करने के तत्काल उपरान्त पेंशन भुगतानादेश की प्रतिलिपि हस्तान्तरित कर दी जाये।"

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश संख्या-1/2016/41/24-पी-2-16-सा0(84)/2014, दिनांक 13 जनवरी, 2016 के प्रस्तर-3(viii) में प्राविधानित व्यवस्था इस सीमा तक संशोधित मानी जाये कि "ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के पेंशनर्स के समस्त देयों दिनांक 29.02.2016 के पूर्व के देयों को सम्मिलित करते हुए, का भुगतान कोषागारों के माध्यम से ही किया जाएगा।"

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-10-283/दस-2018, दिनांक 31.12.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आलोक कुमार  
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2019 /1660(1)/24-पी-2-2018 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० एवं उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- समस्त डिस्काम्स।
- 5- समस्त जिलाधिकारी।
- 6- निदेशक पेंशन निदेशालय उ०प्र०।
- 7- समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 8- सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद पावर सेक्टर, इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

मणीन्द्र शर्मा  
उप सचिव।